रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-98/2024/1857/22-2-2023-17(765)/2023
लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-12940) पुत्र श्री नत्थी सिंह, निवासी ग्राम-ख्वाजपुर, थाना-औरंगाबाद, जनपद-बुल्दशहर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1140/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 324/149, 148, 457 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0-2, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 22.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.03.2007 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, द्वारा दिनांक 12.12.2022 तक 16 वर्ष 02 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 06 दिन की सपरिहार सजा, बंदी की 75 वर्ष से अधिक आयु, अच्छा जेल आचरण, बंदी की वृद्धावस्था तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या-98/2024/1857(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन सं0-1377/2024 चन्द्रपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।